बिहार सरकार

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय, बिहार

(बिहार राज्य बागवानी मिशन)

बिहार राज्य के सभी जिलों में बागवानी उत्पादो के उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं आधारभूत बाजार संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उद्यान निदेशालय (बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में परियोजना आधारित निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:–

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल भौतिक लक्ष्य	लागत व्यय प्रति इकाई	सहायतानुदान प्रति इकाई (राशि लाख रूपये में)	अभ्युक्ति
1	पैक हाउस (साईज 9 मीटर X 6 मीटर)	35	₹4 लाख प्रति इकाई	₹2.00	क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी की अनिवार्यता नहीं।
2	प्याज भंडारण इकाई	500	₹1.75 लाख प्रति इकाई	₹0.875	
3	मोबाईल भेंडिंग कार्ट/ प्लेटफार्म कुल चैम्बर सहित	25	₹0.30 लाख प्रति इकाई	₹0.15	
4	आसवन इकाई (डिस्टीलेशन युनिट)	15	₹5.00 लाख प्रति इकाई	₹2.50	
5	इन्टीग्रेटेड पैक हाउस (साईज 9 मीटर X 18 मीटर)	14	₹50.00 लाख प्रति इकाई	₹17.50	क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड सब्सिडी अनिवार्य।
6	कोल्ड स्टोरेज युनिट, टाईप–1	1	0.08 प्रति M.T. अधिकतम 5000 M.T. तक के लिए	₹140.00 (5000 M.T.)	
7	कोल्ड स्टोरेज युनिट, टाईप–2	1	0.10 प्रति M.T. अधिकतम 5000 M.T. तक के लिए	₹175.00 (5000 M.T.)	
8	रेफ्रीजरेटेड वैन (9 M.T.)	10	₹26 लाख प्रति इकाई	₹13.00	
9	इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन सप्लाई सिस्टम	1	परियोजना आधारित 600 लाख तक की योजना जिसमें MIDH के Guideline का C-1 से C-13 तक में अंकित अवयवों में से कम से कम दो अवयव अवश्य सम्मिलित होंगे।	₹210.00 (अधिकतम)	
10	ग्रामीण बाजार /अपनी मंडी	3	₹25 लाख प्रति इकाई	₹12.50	
11	रिटेल मार्केट/ आउटलेट (शीत नियंत्रित)	13	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50	
12	छोटी नर्सरी (1 हे०)	1	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50	
13	मशरूप उत्पादन इकाई	2	₹20 लाख प्रति इकाई	₹10.00	
13	मशरूप स्पॉन उत्पादन इकाई	1	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50	
14	फॅन्कशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग, पैकिंग युनिट आदि।	5	₹15 लाख प्रति इकाई	₹7.50	
15	सोलर माइक्रो कुल चैम्बर	38	₹13 लाख प्रति इकाई	₹6.50	

किसान/उद्यमी उपर्युक्त कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र परियोजना प्रस्ताव के साथ बिहार राज्य बागवानी मिशन, कार्यालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना–800001 को हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर

मुख्यालय स्तर पर गठित कमिटि SLEC (State Level Executive Committee) द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि 30.09.2017** है।

किसान भाईयों/उद्यमियों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र के साथ निम्न कागजातों को अनिवार्य रूप से संलग्न करें अन्यथा प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे :–

1. परियोजना प्रस्ताव हेतु विहित आवेदन प्रपत्र जिसमें आवेदक का फोटोग्राफ चिपकाया गया हो तथा आवेदन पत्र के सभी कॉलम में स्पष्ट रूप से सही–सही तथ्य अंकित गये हों। गलत सूचना/जानकारी पाये जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
2. परियोजना हेतु चयनित भूमि का अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र में यदि भूमि का खेसरा संख्या (Plot No.) एक से अधिक हो तो किस खेसरा में निर्माण किया जायेगा, से संबंधित शपथ पत्र भी भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
3. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की विवरणी के साथ अनुमानित लागत व्यय का ब्योरा एवं ले–आउट प्लान मिशन के चेक लिस्ट के अनुरूप अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ऐसे अवयव जिसका अनुमानित लागत व्यय 5.00 लाख रूपये से अधिक है, उसके लिए बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र/सहमति पत्र (क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी आधारित परियोजना हेतु) विहित आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. परियोजना प्रस्ताव के साथ परियोजना में वर्णित प्लांट/मशीनरी का कोटेशन मूल रूप में अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।
6. पति–पत्नी, पिता–पुत्र, माता–पिता, भाई–भाई अथवा भाई–बहन एक से अधिक आवेदन पत्रों के लिए तभी पात्र मानें जायेंगे, जब आवेदन पत्र के साथ वंशाबली एवं बँटबाँरा का प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करेंगे।
7. आवेदक द्वारा पूर्व में यदि उपर्युक्त विज्ञापित अवयवों के लिए सहायतानुदान प्राप्त किया गया है, तो सहायतानुदान के अंतिम किस्त की विमुक्ति के पश्चात् 3 वित्तीय वर्षों के दौरान विज्ञापित अवयवों का लाभ प्राप्त नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. उपर्युक्त क्रमांक 1 से 7 तक में अंकित कागजातों/दस्तावेजों के साथ प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर ही विचार किया जायेगा। आधे–अधुरे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

चेक लिस्ट के अनुरूप विहित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव दो प्रतियों में स्पाईरल बाईंडिंग करा कर निर्धारित तिथि तक बिहार राज्य बागवानी मिशन को समर्पित किया जायेगा।

नोटः– **इच्छुक किसान एवं उद्यमी अपने–अपने जिला के सहायक निदेशक, उद्यान से सम्पर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र, चेक लिस्ट एवं अन्य जानकारी www.horticulture.bih.nic.in पर उपलब्ध है।**

28/7/17

मिशन निदेशक,
बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना।